मैरीलैंड की मूल्यांकन, पात्रता और वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम(IEP) की प्रक्रिया को समझना

MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION

Achievement Matters Most

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग

विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्तन सेवाओं का मंडल

अद्यतित 12/2008

विषय-सूची:

परिचय **2**

पारिवारिक सहायता सेवाएँ 3

परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायक संसाधन 5

विकलांग बच्चों की पहचान

प्रारंभिक संर्दभन(रेफरल) 6

आकलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण 7

आकलन 7

मूल्यांकन 9

प्रारंभिक मूल्यांकन 9

प्रारंभिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए समय सीमा 10

पुनर्मूल्यांकन 11

सेवाओं की समाप्ति 11

शिशुओं और बच्चों के कार्यक्रम से अवस्थांतरण 13

वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम(IEP) प्रक्रिया

आई ई पी(IEP) टीम की बैठकें 13

बैठकों में अभिभावकों की भागीदारी 14

आई ई पी(IEP) टीम 115

आई ई पी(IEP) टीम की उपस्थिति 17

आई ई पी(IEP) की विषय-वस्तु 17

अवस्थांतरण सेवाएँ 20

कार्य-निष्पादन का सारांश 21

विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए सहमति प्रदान करना 21

विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए सहमति प्रदान न करना 21

आई ई पी(IEP) का विकास, समीक्षा और पुनः अवलोकन 22

संशोधन 24
नियोजन 25
आई ई पी(IEP) कार्यान्वयन 26
बच्चे जिनको अन्य सार्वजनिक एजेंसी में स्थानांतरित किया जाता है 26
ग्रैजुएशन के लिए आवश्यकताएँ 27
विस्तारित स्कूल वर्ष सेवाएँ(ESY) 27

परिचय:

मैरीलैंड में मूल्यांकन, पात्रता और आई ई पी(IEP) की प्रक्रियाओं को समझने के लिए इस गाइड का विकास मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन(MSDE) द्वारा किया गया है जिससे कि आप अपने बच्चे के अधिकार, अपने अधिकार एवं जिम्मेदारियों और आपके बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्कूल की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ सकें। इस गाइड में बाल खोज, मूल्यांकन, पात्रता का निर्धारण और वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम(IEP) की प्रक्रियाओं का विवरण शामिल है।

अनुसंधान दर्शाते हैं कि जब बच्चों के परिवार उनके विकास और शिक्षा में भागीदार होते हैं, तब बच्चे स्कूल में और अधिक सफल होते हैं। जो बच्चे विकलांग हैं, उनके लिए अभिभावकों की भागीदारी का महत्व और भी अधिक हो सकता है। ज्यादातर, बच्चे की शक्तियाँ और विकलांगता किस प्रकार से उसके विकास और सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालती है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए अभिभावक एकमात्र और सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून के अनुसार बच्चों को उचित शैक्षिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए अभिभावक और स्कूल कर्मियों का एक साथ काम करना आवश्यक है। विकलांग बच्चे के अभिभावक होने के नाते, आपको प्रश्न पूछने चाहिए और जब आपको लगे कि आपको सहायता की आवश्यकता है, तब आप उसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।

MSDE के विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्तन सेवाएँ मंडल के पास स्थानीय परिवार को समर्थन देने वाले संयोजकों का एक तीन-पक्षीय नेटवर्क होता है जो विकलांग बच्चों (जन्म से लेकर 21 वर्ष की उम्र तक) के अभिभावकों को विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्तन सेवाएँ प्राप्त करने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका अदा करने में सहायता करते हैं। मैरीलैंड में प्रत्येक क्षेत्राधिकार में निम्न आयु वर्गों के विकलांग बच्चों के परिवारों के लिए परिवार सहायता सेवाएँ संयोजक होते हैं:

- जन्म से 3 वर्ष की उम्र के लिए - परिवार सहायता नेटवर्क
- 3 से 5 वर्ष की उम्र के लिए - स्कूलपूर्व भागीदार
- 5 से 21 वर्ष की उम्र तक - सफलता के लिए भागीदार

ये संयोजक प्रारंभिक मध्यवर्तन और विशेष शिक्षा सेवाओं पर चर्चा करने के लिए, परिवारों के बीच नए संबंध प्रोत्साहित करने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने एवं पुस्तकालयों का प्रबंधन करने के लिए, अभिभावक प्रशिक्षण सत्रों और सहायता समूह को संगठित करने के लिए, तथा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। वो अनौपचारिक सरलीकरण के माध्यम से या विकलांग शिक्षा सुधार अधिनियम 2004(IDEA) में विकलांग लोगों के लिए परिभाषित औपचारिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करके अभिभावकों की स्कूल प्रणाली के साथ विवाद को सुलझाने में सहायता करते हैं।

अगले पृष्ठ पर आपके क्षेत्राधिकार में परिवार सहायता सेवाओं के संयोजकों की निर्देशिका दी गयी है। हमारे सभी संयोजक विकलांग बच्चों के लाभ के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को तत्पर हैं।

पारिवारिक सहायता सेवाएँ

विकलांग बच्चों के परिवारों के लिए:

स्थानीय परिवार सहायता सेवाओं के संयोजकों **की निर्देशिका**

क्षेत्राधिकार	पारिवारिक सहायता नेटवर्क उम्र जन्म से 3 वर्ष	स्कूलपूर्व भागीदार उम्र 3 वर्ष से 5 वर्ष	सफलता के लिए भागीदार उम्र 3 वर्ष से 21 वर्ष
ऐलिगैनी काउंटी	301-689-2407	301-689-2407	301-689-2407
ऐनी एरुंडैल काउंटी	410-222-6911	410-222-3805	410-222-3805
बाल्टीमोर शहर	410-396-1666	410-396-8995	410-396-8995
बाल्टीमोर काउंटी	410-887-2169	410-887-5443	410-887-5443
काल्वर्ट काउंटी	410-535-7387	410-535-7387	410-535-7387
कैरलाइन काउंटी	410-479-4204	410-479-4204	410-479-4204
कैरोल काउंटी	410-876-4437	410-751-3955	410-751-3955
सेसिल काउंटी	410-996-5637	410-996-5637	410-996-5637
चार्ल्स काउंटी	301-934-7456	301-934-7456	301-934-7456

डोरचेस्टर काउंटी	410-221-0837	410-221-0837	410-221-0837
फ्रेडरिक काउंटी	301-600-1617	301-600-1617	240-236-8430
गैरेट काउंटी	301-334-8119	301-334-8119	301-334-8935
हार्फोर्ड काउंटी	410-638-3823	410-638-3823	410-273-5579
हावर्ड काउंटी	410-313-7161	410-313-7161	410-313-7161
केंट काउंटी	410-778-5708	410-778-5708	410-778-5708
मांटगोमेरी काउंटी	240-777-4809	240-777-4809	301-279-3100
प्रिंस जॉर्ज काउंटी	301-883-7428	301-883-7428	301-431-5675
रानी ऐनी’स काउंटी	410-827-4629, ext. 149	410-827-4629	410-758-3693
समरसेट काउंटी	410-651-9413	410-651-9413	410-651-9413
सेंट मेरी’स काउंटी	301-475-4393	301-475-4393	301-863-4069
टैलबोट काउंटी	410-820-7468	410-820-7468	410-820-7468
वॉशिंगटन काउंटी	301-766-8221	301-766-8221	301-766-8221
विकोमिको काउंटी	410-677-5250	410-677-5250	410-677-5250
वोरसेस्टर काउंटी	410-632-5234	410-632-5234	410-632-5234

राज्यव्यापी पारिवारिक सहायता सेवाएँ संयोजक

मैरीलैंड राज्य शिक्षा परिवार सहायता सेवा विभाग (मैरीलैंड सैन्य परिवारों तथा निरुद्ध और गिरफ़्तार युवाओं के परिवार के लिए समर्पित समर्थन सहित) 1-800-535-0182

नेत्रहीनों के लिए मैरीलैंड स्कूल 1-800-400-4519 ext. 489

बहरों के लिए मैरीलैंड स्कूल 410-480-4597

पूर्ण निर्देशिका वेब: www.mdecgateway.org पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त सहायक संसाधन

विकलांग बच्चों के परिवारों के लिए:

- मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग
  http://marylandpublicschools.org/msde
  मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग और मैरीलैंड पब्लिक स्कूलों की पहलों की जानकारी, जिसमें मूल्यांकनों और मैरीलैंड स्वैच्छिक राज्य पाठ्यक्रम की जानकारी भी शामिल है।

• मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग

विशेष शिक्षा/ प्रारंभिक मध्यवर्तन सेवाओं का मंडल

http://marylandpublicschools.org/msde/divisions/earlyinterv/

आत्मविमोह पर संसाधन, मैरीलैंड के परिवारों के साथ आई ई पी(IEP) के गठन, राज्यव्यापी आई ई पी(IEP) प्रपत्र और प्रतिरूप, विवाद के समाधान पर संसाधन, तथा अन्य

- **मैरीलैंड का प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रवेशद्वार**
  http://ww.mdecgateway.org
  प्रदाताओं और विकलांग बच्चों के परिवारों के लिए ऑनलाइन संसाधन, उम्र जन्म से लेकर पाँच वर्ष तक।

• प्रक्रियात्मक सुरक्षाएँ

इस गाइड को प्रक्रियात्मक सुरक्षा दस्तावेज़, या किसी भी आवश्यक सूचना को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बनाया गया है, और न ही यह राज्य के विशेष शिक्षा विनियमों का विकल्प है। अपने कानूनी अधिकारों को समझने में आपकी मदद करने की प्रक्रिया के दौरान स्कूल आपको प्रक्रियात्मक सुरक्षा दस्तावेज़, जिसका शीर्षक, अभिभावकों के अधिकार - प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचना है, की एक प्रति आपको प्रदान करेगा। अभिभावकों के अधिकार - प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को

www.marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/earlyinterv/Special_Ed_Info.htm. पर प्राप्त किया जा सकता है।

• मैरीलैंड के विनियमों की संहिता (COMAR)

स्टेट डॉक्यूमेंट्स वेब साइट का राज्य मंडल मैरीलैंड के विनियमों की संहिता को http://www.dsd.state.md.us/comar/. पर उपलब्ध कराता है:

- **अमेरिकी शिक्षा विभाग**

संयुक्त राज्य शिक्षा विभाग विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम से संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराता है:http://idea.ed.gov/.

विकलांग बच्चों की पहचान:

बाल खोज एक ऐसी चालू प्रक्रिया है जिसका प्रयोग स्थानीय स्कूल प्रणालीऔर सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा 3 से 21 वर्ष के ऐसे बच्चों को पहचानने में किया जा रहा है जिन्हें विकलांग छात्र के रूप में विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता है। मैरीलैंड नीतियों और प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करता है कि राज्य में रहने वाले सभी विकलांग बच्चे, जिनमें वो विकलांग बच्चे भी शामिल हैं जो निजी स्कूलों में जाते हैं, चाहे उनकी विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो, और जिन्हें विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है, को ढूंढा जाए, पहचाना जाए और उनका मूल्यांकन किया जाए, तथा यह निर्धारित करने के लिए कि किन बच्चों को वर्तमान में जरूरी विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं, एक व्यावहारिक विधि का उपयोग करता है।

इसमे शामिल हैं:

- बच्चे जो स्थानीय स्कूल प्रणाली के क्षेत्राधिकार के भीतर निजी प्राथमिक स्कूलों, निजी माध्यमिक स्कूलों, और चार्टर स्कूलों में जाते हैं;
- अत्यधिक गतिशील बच्चे;प्रवासी बच्चे;
- बेघर बच्चे;
- राज्य के आश्रित;और
- बच्चे जो एक के बाद एक कक्षा में आगे बढ़ते रहते हैं परन्तु इसके बावजूद जिन पर विकलांग छात्र होने का संदेह किया जाता है।

प्रारंभिक संर्दभन**(रेफरल):**

अभिभावक या स्कूल कर्मी किसी भी समय बच्चे के प्राध्यापक या स्थानीय विशेष शिक्षा प्रबन्धक को लिखकर बच्चे के मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं। लिखित अनुरोध आपके संर्दभन(रैफरल) को प्रलेखित करता है और आपके संर्दभन(रैफरल) की समय सीमा को शुरू करता है। संर्दभन(रैफरल) के स्रोत को मूल्यांकन का अनुरोध करने के कारणों

और चिन्ताओं का समाधान करने के लिए किए गए सभी प्रयासों का विवरण अवश्य देना चाहिए।

यदि सार्वजनिक एजेंसी यह निर्धारित करती है कि मूल्यांकन की आवश्यकता है, तो वो तुरंत आपसे आपके बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए सहमति देने का अनुरोध करेंगे और वो इस मूल्यांकन से निर्धारित करेंगे कि क्या बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है। सार्वजनिक एजेंसी आपकी लिखित सूचित अनुमति के बिना आपके बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकती है। मौजूदा आंकडों की समीक्षा करने या आपके बच्चे की ऐसी परीक्षा लेने के लिए, जो परीक्षा सभी बच्चे देते हैं, सार्वजनिक एजेंसी को आपकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि सभी अन्य बच्चों के अभिभावकों की सहमति लेने की आवश्यकता न हो। यदि सार्वजनिक एजेंसी सोचती है कि आपके बच्चे में वो विकलांगता हो सकती है जिसके कारण उसको विशेष शिक्षा के प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है और आप सूचित लिखित सहमति प्रदान करने से मना कर देते हैं, तो सार्वजनिक एजेंसी आपसे मध्यस्थता या उचित प्रक्रिया की सुनवाई में भाग लेने का अनुरोध कर सकती है। सार्वजनिक एजेंसी मैरीलैंड विनियम की संहिता(COMAR) में वर्णित समय सीमा का पालन करेगी, जब तक कि छात्र के अभिभावक और आई ई पी(IEP) टीम आपसी लिखित समझौते द्वारा समय सीमा को नहीं बढ़ाते हैं।

<u>आकलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण:</u>

सार्वजनिक एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रबन्धन आवश्यकता के अनुसार किया जाए और अभिभावक को किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया की लिखित सूचना दी जाए जिसे संचालित करने के लिए सार्वजनिक एजेंसी ने प्रस्ताव दिया है या मना कर दिया है। यदि सार्वजनिक एजेंसी यह निर्धारित करती है कि किन्हीं अतिरिक्त आंकडों की जरूरत नहीं है या वो यह संदेह नहीं करती है कि आपका बच्चा विकलांग है या उसके विकास में विलंब हुआ है, तो सार्वजनिक एजेंसी को आपके बच्चे का आकलन करने से मना करने के लिए लिखित सूचना प्रदान करनी होगी। यदि आप फैसले से असहमत हैं, तो आप प्रशासनिक सुनवाई कार्यालय(OAH)में उचित प्रक्रिया सुनवाई शिकायत दर्ज कराकर अपील कर सकते हैं।

आकलन:

आकलन एक ऎसी प्रक्रिया है जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र के लिए बनाया गया है। सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के बारे में पर्याप्त प्रासंगिक कार्यात्मक, विकास और शैक्षणिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपकरण और रणनीतियों का उपयोग कर सकती है। ये जानकारी यह निर्धारित करने में सहायता कर सकती है कि बच्चा एक विकलांग छात्र है और साथ ही बच्चे की आई ई पी(IEP) की विषय-वस्तु को निर्धारित करने में सहायता प्रदान कर सकती है। शैक्षणिक जानकारी में सामान्य पाठ्यक्रम में आपके बच्चे की प्रगति, या एक स्कूलपूर्व बच्चे के लिए, उपयुक्त गतिविधियों में भाग लेना शामिल हैं। आकलन में मुद्रित परीक्षण, अवलोकन, अभिभावकों से जानकारी के साथ-साथ सूचना के अन्य स्रोत भी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

- चयनित और इस प्रकार से प्रशासित हैं जो नस्लीय या सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती नहीं हैं;
- बच्चे की मूल भाषा या संप्रेषण के अन्य तरीकों से प्रशासित और इस प्रकार से होना चाहिए कि आपके बच्चे को क्या आता है और वो शैक्षणिक रूप से, विकासात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से क्या कर सकता है, उसकी सही जानकारी प्रदान कर सके, जब तक कि ऐसा करना व्यवहार्य न हो;
- उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए जिनके लिए मूल्यांकन मान्य और विश्वसनीय हैं;
- प्रशिक्षित और जानकार कर्मियों द्वारा परीक्षण के निर्माता द्वारा प्रदान किए गये निर्देशों के अनुसार प्रबन्धन किया जाता है;
- शैक्षिक आवश्यकता के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानने के लिए बनाया गया, न कि सिर्फ सामान्य बुद्दिमत्ता भागफल प्रदान करने के लिए; और
- बच्चे की योग्यता या उपलब्धि को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए चयनित किया गया है, न कि अपसामान्य संवेदी, कायिक या बोलने का कौशल को, सिवाय उस स्थिति के जहाँ ये कौशल ही वे कारक हों जिन्हें इस परीक्षण के द्वारा मापा जाना हो।

आकलन प्रक्रिया की प्रत्येक रिपोर्ट में शामिल होगा:

संदिग्ध विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों के प्रदर्शन का विवरण;

- प्रासंगिक कार्यात्मक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक जानकारी;

सामान्य पाठ्यक्रम में बच्चों द्वारा भाग लेने के लिए या, स्कूलपूर्व बच्चे के लिए, उपयुक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए, अनुदेशात्मक प्रभाव; और

- किसी भी आकलन के लिए जिसका प्रबन्धन मानक शर्तों के तहत नहीं किया गया है, इसका विवरण कि वो मानक प्रबन्धन प्रक्रियाओं से किस प्रकार अलग है।

मूल्यांकन:

मूल्यांकन का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जिनका इस्तेमाल संघीय और राज्य विनियमों के अनुसार पात्रता का निर्धारण और मूल्यांकन करने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि बच्चा विकलांग है या नहीं, और बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। IDEA के अंतर्गत किसी विकलांग छात्र के लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रारंभिक प्रावधान करने से पहले एक पूर्ण और व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जाता है। आई ई पी(IEP) टीम और यदि उपयुक्त हो, तो अन्य योग्य पेशेवरों की बैठक में निम्न बिन्दुओं की समीक्षा करने हेतु मूल्यांकन किया जाता है:

- मौजूदा आंकडें और मूल्यांकन परिणाम;
  - अभिभावकों द्वारा प्रदान किया गया मूल्यांकन और सूचना;
  - वर्तमान कक्षा आधारित मूल्यांकन, जिसमें राज्य और जिला-व्यापी मूल्यांकन और टिप्पणियाँ शामिल होंगे, और

  -शिक्षकों और संबंधित सेवाओं के कर्मियों द्वारा टिप्पणियाँ निम्न का निर्धारण करने के लिए:

  - क्या बच्चा एक विकलांग छात्र है;
  - बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताएँ;

-शैक्षणिक उपलब्धि और विकासात्मक आवश्यकताओं के वर्तमान स्तर;

- बच्चे की विशेष शिक्षा और संबंधित सेवा आवश्यकताएँ, चाहे वो उस विकलांग श्रेणी से संबंधित हो या नहीं जिसमें बच्चे को वर्गीकृत किया गया है; और
- बच्चे के द्वारा आई ई पी(IEP) के लक्ष्यों को प्राप्त करने और यदि उपयुक्त हो, तो सामान्य पाठ्यक्रम में भागीदारी करने हेतु आवश्यक अन्य संवर्धन तथा संशोधन,

<u>प्रारंभिक मूल्यांकन:</u>

प्रारंभिक मूल्यांकन पर्याप्त रूप से व्यापक होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि संदिग्ध विकलांगता के संबंध में बच्चे का मूल्यांकन सभी क्षेत्रों में किया गया हो। यदि उपयुक्त हो, तो निम्न भी शामिल होंगे:

- शैक्षणिक प्रदर्शन
- संप्रेषण
- सामान्य बुद्धि
- स्वास्थ्य, श्रवण और दृष्टि सहित
- संचालक क्षमताएँ
- सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्थिति

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बच्चा एक विकलांग छात्र है और उस के लिए उचित शिक्षा कार्यक्रम क्या रहेगा, कभी किसी एकल प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है।

बच्चे को एक ऐसे विकलांग छात्र के रूप में, जिसे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की जरूरत है, नहीं पहचाना जायेगा, यदि निर्धारक कारक निम्न है:

o

पढ़ने के लिए उपयुक्त निर्देशों का अभाव, जिसमें पठन निर्देश के विषय में अनिवार्य संघटक शामिल हैं, जो निम्न हैं:

ध्वनि की पहचान/जागरूकता

नादविद्या

शब्दावली विकास

पठन प्रवाह, मौखिक रूप से पढ़ने की क्षमता सहित

पठन बोध कौशल

- गणित में निर्देश की कमी

  बच्चे की सीमित अंग्रेजी प्रवीणता, जब तक कि बच्चा एक विकलांग बच्चे के रूप में अर्हता प्राप्त न करे।

<u>प्रारंभिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए समय सीमा:</u>

बच्चे के अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी प्रारंभिक मूल्यांकन को शुरु करने के लिए

अनुरोध कर सकते हैं जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि बच्चा विकलांग है या नहीं। बच्चे के आकलन के लिए अभिभावक की लिखित सहमति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन को पूर्ण हो जाना चाहिए। **60** दिनों की समय सीमा एक स्थानीय शैक्षिक एजेंसी पर लागू नहीं होगी यदि:

- अभिभावक द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी में प्रारंभिक आकलन के लिए सहमति प्रदान करने के बाद और इससे पहले कि पूर्व सार्वजनिक एजेंसी यह निर्धारित करे कि बच्चा विकलांग है, बच्चा एक ऐसे स्कूल में भर्ती हो जाता है जिसकी सहायता सार्वजनिक एजेंसी द्वारा की जा रही हो। यह अपवाद तभी लागू होगा जब अनुवर्ती सार्वजनिक एजेंसी मूल्यांकन को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रगति कर रही हो, और अभिभावक तथा अनुवर्ती सार्वजनिक एजेंसी मूल्यांकन पूर्ण करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा के लिए सहमत हो जाते हैं।
  -बच्चे का अभिभावक मूल्यांकन के लिए बच्चे को पेश करने में बार बार विफल होता है या मना कर देता है; या
  -सार्वजनिक एजेंसी और अभिभावक **60** दिनों की मूल्यांकन समय सीमा का विस्तार करने के लिए लिखित रूप से सहमत हो जाते हैं।

यदि आई ई पी(IEP) टीम प्रारंभिक मूल्यांकन में यह निर्धारित करती है कि बच्चा विकलांग है और उसे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की जरूरत है, तो आई ई पी (IEP) टीम को प्रारंभिक मूल्यांकन के 30 दिनों के भीतर बच्चे का आई ई पी(IEP) विकसित करने के लिए बैठक करनी चाहिए। सार्वजनिक एजेंसी आई ई पी(IEP) टीम के मूल्यांकन निर्णय की एक प्रति अभिभावक को प्रदान करेगी।

<u>शिशुओं और बच्चों के कार्यक्रम से अवस्थांतरण:</u>

सार्वजनिक एजेंसी को इसका निर्धारण करने के लिए आई ई पी(IEP) टीम की बैठक का आयोजन कराना होगा कि जो बच्चा स्थानीय शिशुओं और बच्चों के कार्यक्रम से अवस्थांतरण में है, उसे ऐसी विकलांगता है जिसके लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान की आवश्यकता है। यदि बच्चे की पहले से ही भाग C के तहत सहायता की गयी है, तो अभिभावक के अनुरोध पर भाग C के सेवा संयोजक या भाग C प्रणाली के अन्य प्रतिनिधियों को प्रारंभिक आई ई पी(IEP) बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा जाना चाहिए जिससे कि सेवाओं के सुगम अवस्थांतरण के लिए उन से सहायता ली जा सके। यदि आई ई पी(IEP) टीम यह निर्धारित करती है कि बच्चा एक विकलांग छात्र है या उसके विकास में देरी हुई है, तो आई ई पी(IEP) टीम को बच्चे के

लिए आई ई पी(IEP) विकसित करना होगा। बच्चे का आई ई पी(IEP) बच्चे के तीसरे जन्मदिन से प्रभावी होना चाहिए।

<u>पुर्नमूल्यांकन:</u>

सार्वजनिक एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे का पुर्नमूल्यांकन पूर्ण होना चाहिए, यदि:

- सार्वजनिक एजेंसी यह निर्धारित करती है कि बच्चे की शैक्षिक या संबंधित सेवाओं की आवश्यकताएँ, जिसमें उन्नत शैक्षणिक उपलब्धि और कार्यात्मक प्रदर्शन भी शामिल है, का पुर्नमूल्यांकन करना आवश्यक हैं; या
- बच्चे के अभिभावक या अध्यापक पुर्नमूल्यांकन के लिए अनुरोध करते हैं।

पुर्नमूल्यांकन एक वर्ष में एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए, जब तक कि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी सहमत न हों; और इसे प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए, जब तक कि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी इस बात पर सहमत न हों कि पुर्नमूल्यांकन अनावश्यक है। जहाँ तक संभव हो, सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे के लिए पुर्नमूल्यांकन बैठकों और अन्य आई ई पी(IEP) टीम की बैठकों के समन्वयन को अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। आई ई पी(IEP) टीम अभिभावकों से प्राप्त जानकारी, कक्षा-आधारित आकलनों, राज्य और जिलाव्यापी आकलनों और टिप्पणियों सहित मौजूदा मूल्यांकन आंकडों की समीक्षा करेगी जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि निम्नलिखित को निर्धारित करने के लिए किन्हीं अतिरिक्त आंकडों की आवश्यकता तो नहीं है:

- क्या बच्चे में अभी भी विकलांगता है जिसके लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान की आवश्यकता है;
- बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि और संबंधित विकासात्मक आवश्यकताओं का वर्तमान स्तर;और
- बच्चे के आई ई पी(IEP) के परिमेय वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और यदि उपयुक्त हो, तो सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए क्या किन्हीं परिवर्धनों या संशोधनों की आवश्यकता है, ।

यदि आई ई पी(IEP) टीम यह निर्धारित करती है कि अतिरिक्त आंकडों की आवश्यकता है, तो आकलन तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक अभिभावकों को अधिसूचित करके

अभिभावक सहमति देने का अनुरोध न किया जाए। आई ई पी(IEP) टीम द्वारा आकलन की सलाह देने की तारीख के 30 दिनों के भीतर आई ई पी टीम आकलनों के परिणामों की समीक्षा करेगी । यदि आई ई पी(IEP) टीम यह निर्धारित करती है कि किन्हीं अतिरिक्त आंकडों की आवश्यकता नहीं है, तो सार्वजनिक एजेंसी को इस तथ्य के बारे में और उस निर्धारण के कारणों के विषय में अभिभावक को सूचित करना होगा। सार्वजनिक एजेंसी को पुर्नमूल्यांकन के लिए आकलन कराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि बच्चे के अभिभावक द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध न किया जाए।

सेवाओं की समाप्ति:

यह निर्धारित करने से पहले कि बच्चा अब एक विकलांग छात्र नहीं है, सार्वजनिक एजेंसी को संघीय और राज्य विनियमों के अनुसार विकलांग बच्चे का पुर्नमूल्यांकन करना चाहिए। नियमित हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ ग्रैजुएशन करने के कारण IDEA के भाग B के तहत या राज्य कानून के तहत नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा(**FAPE**)के लिए नियत आयु सीमा से अधिक आयु होने के कारण बच्चे की पात्रता को समाप्त करने से पहले इस पुर्नमूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (IEP) की प्रक्रिया:

आई ई पी(IEP) टीम की बैठकें:

सार्वजनिक एजेंसी यह निर्णय लेने के लिए एक टीम प्रक्रिया का उपयोग करती है कि क्या बच्चा एक विकलांग छात्र है जैसा कि आई डी ई ए(IDEA) द्वारा परिभाषित किया गया है और उसकी शैक्षिक आवश्यकताएँ क्या हैं। प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी विकलांग छात्र के आई ई पी(IEP) को विकसित करने, समीक्षा करने और पुनरीक्षण करने, और बच्चे के शैक्षिक नियोजन को निर्धारित करने के उद्देश्य से बैठकों को आरंभ और आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक विकलांग छात्र के अभिभावकों को अधिसूचित किया जाना चाहिए और उन्हें अपने बच्चे के लिए आयोजित किसी भी आई ई पी(IEP) बैठक में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

अभिभावक उस आई ई पी(IEP) टीम के सदस्य होते हैं जो बच्चे के शैक्षिक नियोजन के संबंध में निर्णय लेती हैं। सार्वजनिक एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए कि अभिभावक बच्चे के शैक्षिक नियोजन से संबंधित समूह चर्चाओं

में हिस्सा लें और उन्हें समझें, जिसमें बहरे अभिभावकों, और जिन अभिभावकों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, उनके लिए दुभाषिये की व्यवस्था करना भी शामिल है।

एक बार जब आई ई पी टीम(IEP) यह निर्धारित कर लेती है कि बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है, तो आई ई पी टीम(IEP) को 30 दिनों के भीतर बच्चे का आई ई पी(IEP) विकसित करने के लिए बैठक करनी चाहिए। आई ई पी(IEP) टीम का एक सदस्य होने के नाते, आभिभावकों के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी समय अपने बच्चे की आई ई पी(IEP) की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकते हैं।

बैठकों में अभिभावकों की भागीदारी:

प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि विकलांग बच्चे के एक या दोनों अभिभावक आई ई पी टीम(IEP) की प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, या उन्हें भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। अभिभावकों को बैठकों की जानकारी पहले से दी जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें भाग लेने का मौका मिल सके, और बैठकों को पारस्परिक रूप से सहमत समय और स्थान पर आयोजित किया जाना चाहिए। सूचना में बैठक का उद्देश्य, समय, स्थान और उसमें कौन-कौन उपस्थित होगा, इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। सूचना में अभिभावकों को यह जानकारी भी दी जानी चाहिए कि अभिभावकों या सार्वजनिक एजेंसी की इच्छानुसार, यदि उपयुक्त हो तो, कोई अन्य व्यक्ति जिसको बच्चे के संबंध में ज्ञान और विशेष विशेषज्ञता हासिल हो, जिसमें संबंधित सेवाओं के कर्मी भी शामिल हैं, भी आई ई पी टीम(IEP) में हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के ज्ञान या विशेष विशेषज्ञता का निर्धारण उस पक्ष (अभिभावकों या सार्वजनिक एजेंसी) के द्वारा किया जाएगा जिसने उस व्यक्ति को आई ई पी(IEP) टीम का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है।

14 वर्ष या उससे कम आयु वाले विकलांग छात्र के मामले में, यदि उपयुक्त हो तो, सूचना में यह जानकारी भी होनी चाहिए कि बैठक का एक उद्देश्य छात्र की अवस्थांतरण सेवाओं की आवश्यकताओं के बारे में एक विवरण का विकास करना भी है और एजेंसी उस छात्र को आमंत्रित करेगी और किसी अन्य एजेंसी की पहचान करेगी जिसको एक प्रतिनिधि भेजने के लिए निमंत्रण दिया जायेगा। इससे पहले कि सार्वजनिक एजेंसी किसी दूसरी एजेंसी के प्रतिनिधि को आमंत्रित करे, अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता होगी।

बच्चे की शिक्षा के नियोजन के निर्धारण सहित बच्चे की आई ई पी(IEP) को विकसित करने, समीक्षा करने, या संशोधन करने के लिए सूचना बैठक के कम से कम दस(10) कैलेंडर दिन पहले दी जानी चाहिए जब तक कि निम्न कार्यों के लिए शीघ्र बैठक का आयोजन न करना पड़े:

- अनुशासनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए;
- बच्चे के नियोजन का निर्धारण करने के लिए, यदि बच्चा विकलांग है और उसे वर्तमान में शैक्षणिक सेवाएँ प्राप्त नहीं हो रही हैं; या
- एफ ए पी ई(**FAPE**) के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे की अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

यदि दोनों में से कोई भी अभिभावक उपस्थित नहीं हो सकता है, तो सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अन्य तरीकों का प्रयोग करेगी, जिसमें वैयक्तिक या कॉफ्रेंस कॉल शामिल हैं। यदि सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों को इस बात पर सहमत नहीं कर पाती हैं कि उन्हें उपस्थित होना चाहिए, तो बैठक का आयोजन अभिभावक की उपस्थिति के बिना भी किया जा सकता है । यदि सार्वजनिक एजेंसी निर्णय लेने में अभिभावकों की भागीदारी प्राप्त करने में असमर्थ होती है, तो आई ई पी(IEP) टीम अभिभावकों की सहभागिता के बिना नियोजन का निर्धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में, सार्वजनिक एजेंसी के पास पारस्परिक रूप से सहमत समय और स्थान पर बैठकों के आयोजन के लिए किये गये प्रयासों, जैसे कि किए गये टेलीफोन कॉल और उन कॉल्स के परिणामों का विस्तृत रिकॉर्ड, अभिभावकों को भेजी गयीं पत्राचार की प्रतियाँ और प्राप्त प्रतिक्रियाएँ, अभिभावकों के घर या नियोजन के स्थान पर जाने और उन मुलाकातों के परिणामों का विस्तृत विवरण, का रिकॉर्ड होना चाहिए ।

बैठक में सार्वजनिक एजेंसी कर्मियों के अनौपचारिक या गैर-अनुसूचित वार्तालाप और शिक्षण पद्धति, पाठ योजनाओं या सेवा के प्रावधान के समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा शामिल नही होनी चाहिए यदि इन मुद्दों को बच्चे की आई ई पी(IEP) में संबोधित नहीं किया गया है।

बैठक में प्रारंभिक गतिविधियों को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें सार्वजनिक एजेंसी के कर्मी प्रस्ताव विकसित करने हेतु शुरु करते हैं या अभिभावक के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया तैयार करने हेतु शुरु करते हैं जिसपर बाद की किसी बैठक में चर्चा की जानी हो।

आई ई पी(IEP) टीम:

आई ई पी(IEP) टीम में शामिल हैं:

- बच्चे के अभिभावक, संरक्षक या अभिभावक के प्रतिनियुक्त;
- यदि बच्चा सामान्य शिक्षा के परिवेश में भाग ले रहा हो या लेने जा रहा हो,

तो बच्चे के सामान्य शिक्षा अध्यापकों में से कम से कम एक अध्यापक। यदि बच्चे के पास सामान्य शिक्षा अध्यापक नहीं है या वो स्कूल आयु से छोटा है, तो वह व्यक्ति जो उस आयु के बच्चे को पढ़ाने के लिए योग्य हो;

- बच्चे का कम से कम एक विशेष शिक्षा अध्यापक, या यदि उपयुक्त हो तो, बच्चे का एक सेवा प्रदाता;
- सार्वजनिक एजेंसी का एक प्रतिनिधि जो विकलांग छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए निर्देशों के प्रावधान का प्रबन्धन या उनको प्रदान करने के योग्य हो और जो सामान्य पाठ्यक्रम और सार्वजनिक एजेंसी के उपलब्ध संसाधनों को जानता हो;
- ऎसा व्यक्ति जो मूल्यांकनों के अनुदेशात्मक आशयों की व्याख्या कर सकता हो। यह व्यक्ति ऊपर सूचीबद्ध सार्वजनिक एजेंसी टीम सदस्यों में से एक हो सकता है;
- यदि अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी, किसी दूसरे व्यक्ति को चुनती है जिसे बच्चे के बारे में ज्ञान या विशेष विशेषज्ञता हासिल हो:

• जिस हद तक उपयुक्त हो, अभिभावकों की सहमति से, सार्वजनिक एजेंसी को किसी भी भागीदार सार्वजनिक एजेंसी से एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करना चाहिए जो अवस्थांतरण सेवाओं को प्रदान अथवा उनका भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो; और

- यदि उपयुक्त हो तो, वह बच्चा। यदि बैठक का उद्देश्य बच्चे के लिए पश्चमाध्यमिक लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बच्चे की सहायता के लिए आवश्यक अवस्थांतरण सेवाओं पर विचार करना है, तो बच्चे को आमंत्रित किया जाएगा, और उससे आई ई पी टीम(IEP) की बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने की उम्मीद की जाएगी ।

<u>आई ई पी(IEP) टीम की उपस्थिति:</u>

, यदि विकलांग बच्चे के अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी, लिखित रूप से, इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य नहीं हैं क्योंकि सदस्य के पाठ्यक्रम क्षेत्र या संबंधित सेवाओं को बैठक में न तो संशोधित किया जाएगा और न ही उन पर चर्चा की जाएगी, तो आई ई पी(IEP) टीम के सदस्य को सभी आई ई पी(IEP) बैठकों में उपस्थित रहने या उनमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है ।

जब बैठक में सदस्य के पाठ्यक्रम क्षेत्र या संबंधित सेवाओं का संशोधन या उस पर चर्चा करना शामिल हो, तो आई ई पी(IEP) टीम के सदस्य को आई ई पी(IEP) की पूरी बैठक या आई ई पी(IEP) की बैठक के कुछ हिस्से में उपस्थित न रहने की छूट मिल सकती है यदि -

- अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी, लिखित रूप से, छूट के लिए सहमति प्रदान करें; और
- जब छूट पाने वाला सदस्य बैठक से पहले, अभिभावक और आई ई पी(IEP) टीम को आई ई पी(IEP) के विकास के लिए लिखित इनपुट उपलब्ध करा दे।

<u>आई ई पी(IEP)</u>की <u>विषय-वस्तु:</u>

आई ई पी(IEP) टीम के द्वारा आई ई पी(IEP) को विकसित किया गया है और इसमें शामिल है:

- बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि और कार्यात्मक प्रदर्शन के वर्तमान स्तर का विवरण जिसमें शामिल है:

-बच्चे की विकलांगता किस प्रकार से सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम (अर्थात गैर विकलांग बच्चों के समान पाठ्यक्रम) में बच्चे की भागीदारी और प्रगति को प्रभावित करती है; या

- स्कूलपूर्व बच्चों के लिए, जैसा उपयुक्त हो, बच्चे की विकलांगता किस प्रकार से उपयुक्त गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी को प्रभावित करती है;

- परिमेय वार्षिक लक्ष्यों का विवरण जिसमें शैक्षिक और कार्यात्मक लक्ष्य शामिल हों जिन्हें इसलिये बनाया गया है ताकि:

- बच्चे की उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके जो उसकी विकलांगता से पैदा होती हैं जिससे बच्चे को सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होने और प्रगति करने के लिए सक्षम बनाया जा सके; और
- बच्चे की विकलांगता के कारण पैदा हुई हर अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

- अल्पावधि उद्देश्यों या मानकों का वर्णन।

-इसका वर्णन कि वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बच्चे की प्रगति को कैसे मापा जाएगा, और वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में बच्चे की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट(जैसे कि त्रैमासिक या अन्य आवधिक रिपोर्टें के प्रयोग के द्वारा, जो रिपोर्ट कार्ड के साथ-साथ जारी की जायेंगी) कब प्रदान की जाएगी।

-विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं और अनुपूरक सहायता तथा सेवाओं का विवरण जो, जहाँ तक व्यावहारिक हो सके, समकक्षी-समीक्षा अनुसंधान पर आधारित होगा, जोकि बच्चे को या बच्चे के पक्ष से किसी को भी उपलब्ध करायी जायेगी, और कार्यक्रम संशोधनों या स्कूल कर्मियों के लिए समर्थनों का एक विवरण उपलब्ध कराया जायेगा जो कि बच्चे को निम्नलिखित में सक्षम बनाने के लिए होगा -

- वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर उचित रूप से अग्रसर होना;
- सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होना और प्रगति करना तथा पाठ्येतर और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना; और
-विकलांग और गैर विकलांग बच्चों के साथ शिक्षित होना और भाग लेना;

-यदि कोई सीमा नियत हो जहाँ तक बच्चा नियमित शिक्षा के माहौल और गतिविधियों में गैर विकलांग बच्चों के साथ भाग नहीं लेगा, तो उसके बारे में व्याख्या, ;

-ऐसे वैयक्तिक समुचित समायोजनों का विवरण जो राज्य और जिलाव्यापी आकलनों पर बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि और कार्यात्मक प्रदर्शन को मापने के लिए आवश्यक हो; और

-यदि आई ई पी(IEP)टीम यह निर्धारित करती है कि छात्र उपलब्धि के लिए विशेष नियमित राज्य या जिलाव्यापी आकलनों के बजाय बच्चे को एक वैकल्पिक आकलन दिया जाना चाहिए तो इस बारे में एक विवरण कि क्यों:

- बच्चा नियमित आकलन में भाग नहीं ले सकता है; और
- चुना गया विशेष वैकल्पिक आकलन बच्चे के लिए उपयुक्त है;

-सेवाओं और संशोधनों की शुरुआत की अनुमानित तिथि, और प्रत्याशित आवृत्ति, नियोजन और उन सेवाओं की अवधि तथा संशोधन।

सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बच्चे को आई ई पी(IEP) के अनुसार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाएँगी और पूरी निष्ठा के साथ इस बात का प्रयास किया जायेगा कि बच्चे को आई ई पी(IEP) में सूचीबद्ध लक्ष्यों और उद्देश्यों या मानकों को प्राप्त करने में सहायता मिल सके। यदि बच्चा वार्षिक लक्ष्यों और मानकों या उद्देश्यों के अनुसार विकास नहीं करता है, तो सार्वजनिक एजेंसी, शिक्षकया किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा ।

आई डी ई ए(IDEA) 2004 के अनुसार आई डी ई ए(IDEA) संविधि के द्वारा स्पष्ट रूप से मांगी गई आवश्यक जानकारी के अलावा अतिरिक्त जानकारी को बच्चे के आई ई पी (IEP) में शामिल करना ज़रूरी नहीं है या आई ई पी(IEP) टीम को बच्चे के आई ई पी(IEP) के एक घटक के अंतर्गत पहले से ही शामिल की गई जानकारी को बच्चे के आई ई पी(IEP) के किसी अन्य घटक में शामिल करना ज़रूरी नहीं है ।

यदि बच्चे को विस्तारित स्कूल वर्ष सेवाओं की आवश्यकता है,तो आई ई पी(IEP) में नियमित स्कूल वर्ष के आगे भी विशिष्ट विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

<u>अवस्थांतरण सेवाएं:</u>

अवस्थांतरण सेवाएँ समन्वित गतिविधियों का समूह है जिसकी रचना स्कूल से स्कूलोपराँत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई है जिसमें पश्चमाध्यमिक शिक्षा, आजीविका और प्रौद्योगिकी शिक्षा, एकीकृत रोजगार, वयस्क सेवाएँ, स्वतंत्र जीवनयापन या समुदाय की भागीदारी शामिल है। इन गतिविधियों का समूह बच्चे की ज़रूरतों पर आधारित है जिसमें बच्चे के वरीयताओं और हितों को ध्यान में रखा गया है और जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम, संबंधित सेवाएं और सामुदायिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

• जब बच्चा 14 वर्ष या यदि उपयुक्त हो, तो उससे कम आयु का हो, तब से शुरु करते हुए और वार्षिक रूप से अद्यतित करते हुए, आई ई पी(IEP) में बच्चे की अवस्थांतरण सेवाओं की जरूरतों के विवरण को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चे के पाठ्यक्रम के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करती हों।

- जब बच्चा 16 वर्ष हो या यदि आई ई पी(IEP) टीम द्वारा उपयुक्त पाया जाए, तो इससे कम आयु में प्रथम आई ई पी(IEP) के प्रभाव में आने से शुरुआत करते हुए और उसके बाद वार्षिक रूप से अद्यतित किया गया हो तो आई ई पी(IEP) को अवश्य शामिल करना चाहिए-

-उपयुक्त परिमेय पश्चमाध्यमिक लक्ष्य जो प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार और जहाँ तक उपयुक्त हो, स्वतंत्र जीवन कौशलों के साथ सम्बन्धित उपयुक्त आयु अवस्थांतरण मूल्यांकन पर आधारित हैं ; और

-बच्चे को उन लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता देने के लिए ज़रूरी अवस्थांतरण सेवाएँ (जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम शामिल हैं)।

- अवस्थांतरण की सेवाएं ऐसे छात्रों पर लागू नहीं होती हैं जो विकलांग हो और जिसे राज्य कानून के तहत वयस्क के रूप में सजा सुनाई गई हो और जो वयस्क सुधारक सुविधा में सज़ा काट रहा हो और जिसकी विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए पात्रता रिहाई से पहले ही समाप्त हो जाएगी ।

प्रदर्शन का सारांश:

जिस बच्चे की पात्रता समाप्त हो गई है, उसके लिये सार्वजनिक एजेंसी बच्चे की शिक्षा संबंधी उपलब्धि और कार्यात्मक प्रदर्शन का एक सारांश प्रदान कर सकती है जिसमें यह सिफारिश शामिल होगी कि बच्चे की किस प्रकार से सहायता की जाए जिससे वह अपने पश्चमाध्यमिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

विशेष शिक्षा सेवाओं की शुरूआत के लिए सहमति प्रदान करना:

सार्वजनिक एजेंसी को किसी विकलांग बच्चे के लिये विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ के प्रारंभिक प्रावधान से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। यदि छात्र के अभिभावक प्रारंभिक विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की शुरुआत के लिए सूचित लिखित सहमति सार्वजनिक एजेंसी को देने से मना करते हैं, या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा प्रारंभिक विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की शुरुआत के लिए सहमति प्रदान करने के अनुरोध का उत्तर नहीं देते हैं, तो सार्वजनिक एजेंसी द्वारा विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ प्रदान नहीं की जाएँगी । यदि अभिभावक प्रारंभिक विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए सहमति प्रदान करने के लिए मना करते हैं, तो सार्वजनिक एजेंसी बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकती है। यदि विकलांग बच्चे के अभिभावक प्रारंभिक सहमति देने से मना करते हैं, तो सार्वजनिक एजेंसी द्वारा एफ ए पी ई(**FAPE**)को उपलब्ध कराने से संबंधित आवश्यकता का उल्लंघन किया गया नहीं माना जाएगा, और उसे आई ई पी(IEP) टीम की बैठक का आयोजन करने या छात्र के लिए आई ई पी(IEP) के विकास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

विशेष शिक्षा सेवा के लिए सहमति को रद्द करना :

31 दिसंबर,2008 को, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम(IDEA) अभिभावकों को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान के लिए सहमति रद्द करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि उनके बच्चों के लिये विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की उप्लब्धि समाप्त हो जाएगी। हालांकि यह बदलाव अमेरिका के शिक्षा विभाग की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या के विपरीत है, तथापि यह आई डी ई ए(IDEA) की बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने में अभिभावकों की भूमिका को बढ़ावा देने और अपने बच्चे की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारिता और चयन को बढ़ावा देने के विभाग के लक्ष्य पर ज़ोर देने के नीति के साथ संगति रखता है।

सार्वजनिक एजेंसी द्वारा विकलांग बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर देने के बाद किसी भी समय, बच्चे के अभिभावक विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं को जारी रखने के प्रावधान को रद्द करने के लिए लिखित रूप से सहमति दे सकते हैं। सार्वजनिक एजेंसी उस बच्चे की विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं को तो जारी नहीं रख सकती है, लेकिन उसे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान को बंद करने से पहले अभिभावकों को पूर्वलिखित सूचना प्रदान करनी होगी। सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता या उचित प्रकिया सुनवाई का उपयोग नहीं कर सकती है जिससे कि समझौता हो सके या आदेश प्राप्त हो सके कि बच्चे को सेवाएँ उपलब्ध करायी जायें । सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बच्चे को आगे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ प्रदान नहीं कराये जाने के कारण उसको बच्चे को एफ ए पी ई(**FAPE**) को उपलब्ध कराने से संबंधित आवश्यकता का उल्लंघन करता हुआ नहीं माना जाएगा और उसे आई ई पी (IEP) टीम की बैठक को आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है तथा बच्चे के लिये आगे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान के लिए आई ई पी(IEP) को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि अभिभावक विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान को जारी रखने के लिए सहमति को रद्द कर सकते हैं, तथापि सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बच्चे के शिक्षा रिकॉर्ड में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि बच्चे द्वारा विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने के बारे में किसी संदर्भ को हटाया जाए क्योंकि सहमति रद्द कर दी गई है।

आई ई पी(IEP) का विकास, समीक्षा, और पुनरीक्षण :

बच्चे के आई ई पी(IEP) का विकास, समीक्षा और पुनरीक्षण करते समय, आई ई पी(IEP) टीम विचार और प्रलेखित करेगी:

- बच्चे की शक्तियाँ और बच्चे की शिक्षा को बढ़ाने के प्रति उसके अभिभावकों की दिलचस्पी;
- बच्चे के प्रारंभिक या हाल ही में हुए मूल्यांकन के परिणाम;
- बच्चे की शैक्षणिक, विकास और कार्यात्मक आवश्यकताएँ;
- बच्चे के राज्य या जिले में हुए मूल्यांकन कार्यक्रम में प्रदर्शन के परिणाम, जो भी उपयुक्त हो;
- संप्रेषण आवश्यकताएँ;
  - सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों और सेवाओं से संबंधित बच्चे की आवश्यकताएँ।
  - विशेष कारकों पर विचार, विशिष्ट रूप से बच्चे के लिए, जैसे कि:

- उस बच्चे के मामले में जिसका व्यवहार उसकी या दूसरों की शिक्षा में बाधा डालता है, उस व्यवहार से निपटने के लिए सकारात्मक व्यवहार मध्यवर्तन और समर्थनों तथा अन्य रणनीतियों के उपयोग पर विचार करें; - उस बच्चे के मामले में जिसकी अंग्रेज़ी में सीमित प्रवीणता हो, बच्चे की भाषा से संबंधित आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे बच्चे के आई ई पी(IEP) से संबंध रखती हैं;

- - ऐसे बच्चे के मामले में, जो नेत्रहीन है या जिसकी दृष्टि अपसामान्य है, उसे ब्रेल में निर्देश प्रदान करें जिसमें ब्रेल में पाठ्य पुस्तकें भी शामिल हों, और ब्रेल का उपयोग करने का प्रावधान करें जब तक कि आई ई पी(IEP) की टीम बच्चे के पढ़ने और लिखने के कौशल, आवश्यकताओं और उचित पढ़ने और लिखने के माध्यमों (जिसमें बच्चे के द्वारा भविष्य में ब्रेल में निर्देश पाने अथवा ब्रेल का उपयोग करने की जरूरतों का मूल्यांकन करना भी शामिल है) का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय ना कर लें कि ब्रेल में निर्देश प्रदान करना, जिसमें ब्रेल में पाठ्य पुस्तकें भी शामिल हों, और ब्रेल का उपयोग करना बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं हैं; और

  -ऐसे मामले में, जिसमें बच्चा बहरा हो या उसे कम सुनाई देता हो, उस बच्चे की भाषा और संप्रेषण आवश्यकताओं, बच्चे की भाषा में पेशेवर कर्मियों और साथियों के साथ सीधे संप्रेषण के अवसरों और संप्रेषण के माध्यम, शैक्षणिक स्तर और आवश्यकताओं की पूरी श्रेणी, जिसमें बच्चे की भाषा और संप्रेषण के माध्यम में प्रत्यक्ष निर्देश के लिए दिए गए अवसर शामिल हो, पर ध्यान देना चाहिए।

  यदि उपरोक्त विशेष कारकों को ध्यान में रखते हुए, आई ई पी(IEP) टीम यह निर्णय करती है कि बच्चे को किसी खास उपकरण ,सेवा , मध्यवर्तन, आवास या कार्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है जिससे कि बच्चे को एफ ए पी ई(**FAPE**) मिल सके ,तो आई ई पी(IEP) टीम को बच्चे की आई ई पी(IEP) में इस के विषय में एक टिप्पणी को अवश्य शामिल करनी चाहिए।

आई ई पी(IEP) टीम के सदस्य के रूप में ,बच्चे के सामान्य शिक्षा अध्यापक को उपयुक्त सीमा तक बच्चे के आई ई पी(IEP) को बनाने में भागीदारी करनी होगी। भागीदारी में बच्चे के लिए उचित सकारात्मक व्यवहार मध्यवर्तनोंऔर समर्थनों तथा अन्य रणनीतियाँ, साथ ही अनुपूरक सहायता और सेवाएँ, कार्यक्रम संशोधन और स्कूल कर्मियों के लिए सहायता का निर्धारण करने में मदद करना शामिल है।

आई ई पी(IEP) टीम समय समय पर बच्चे के आई ई पी(IEP) की समीक्षा करेगी ,जो एक साल से कम अवधि के लिए नहीं होगा ,जिससे कि:

• यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या बच्चे के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है, और

• आई ई पी(IEP) को, जैसा उचित हो, संशोधित किया जाएगा, जिससे निम्न को संबोधित किया जाएगा -

- वार्षिक लक्ष्यों और यदि उपयुक्त हो, तो सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रत्याशित प्रगति में कोई कमी, ;

- पुन :मूल्यांकन के कोई परिणाम; बच्चे के बारे में अभिभावकों को दी गई या उनसे प्राप्त सूचना;

- बच्चे की अनुमानित आवश्यकताएँ; या

-अन्य प्रासंगिक मामले जो बच्चे के कार्यक्रम से संबंध रखते हैं।

संशोधन:

आई ई पी(IEP) में बदलाव करने के लिए बच्चों के अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी आई ई पी(IEP) टीम की बैठक को आयोजित ना करने के लिए सहमत हो सकते हैं। विशिष्ट स्कूल वर्ष के लिए वार्षिक आई ई पी(IEP) की बैठक के बाद बच्चे के आई ई पी(IEP) में बदलाव करने के लिए, विकलांग बच्चे के अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी लिखित दस्तावेज़ बनाने के लिए सहमत हो सकते हैं जिससे कि बच्चे के वर्तमान आई ई पी(IEP) में संशोधन या बदलाव किए जा सकें। अनुरोध करने पर अभिभावक को आई ई पी(IEP) की संशोधित प्रति प्रदान की जा सकती है जिसमें संशोधन सम्मिलित किए गए होगें।

नियोजन:

आई ई पी(IEP) के सदस्य के तौर पर अभिभावक अपने बच्चे के नियोजन के विषय में निर्णय लेने के लिए शामिल रहेंगे। जहाँ तक उपयुक्त हो, विकलांग छात्र जो सार्वजनिक या निजी संस्थाओं या अन्य देखभाल सुविधाओं के छात्र हैं, को उन छात्रों के साथ ही शिक्षा दी जाएगी जो विकलांग नहीं हैं। बच्चे की आई ई पी(IEP) टीम वार्षिक रूप से:

- -बच्चे के शैक्षिक नियोजन को निर्धारित करेगी, जो आई ई पी(IEP) पर आधारित होगा; और
- -यह पुष्टि करेगी कि क्या बच्चे को उस स्कूल में शिक्षा दी गयी है जिसमें बच्चा पढ़ने के लिए जाता यदि वह विकलांग नहीं होता, जब तक कि बच्चे के आई ई पी(IEP) के अनुसार किसी अन्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

अगर बच्चे को राज्य के कानून के तहत एक वयस्क के रूप में दोषी पाया जाता है, और वयस्क सुधारक सुविधा के तहत उसे कैद किया जाता है, जिसके लिए राज्य द्वारा वास्तविक सुरक्षा अथवा दण्ड्शास्त्रीय कारण को प्रस्तुत किया गया है जिसे अन्यथा समायोजित नहीं किया जा सकता था, तो आई ई पी(IEP) टीम बच्चे का आई ई पी(IEP) या नियोजन बदल सकती है।

<u>आई ई पी(IEP) कार्यान्वयन:</u>

- सार्वजनिक एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि:
  बच्चे का आई ई पी(IEP) विकसित होने के बाद उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, सिवाय इसके कि यदि बैठक गर्मियों या अवकाश अवधि में आयोजित की जाती है या जब ऐसे हालात, हों जिनमें विलम्ब हो सकता है जैसे कि परिवहन व्यवस्था ।

- स्कूल वर्ष की शुरुआत से आई ई पी(IEP) बच्चे के लिए प्रभावी होती है।

- आई ई पी(IEP) प्रत्येक शिक्षक, संबंधित सेवा प्रदाता, और अन्य सेवा प्रदाता जो बच्चे के आई ई पी(IEP) को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, सभी के लिए सुलभ है।

- प्रत्येक व्यक्ति जिसकी पहचान बच्चे को सेवाएँ देने वाले के रूप में की गई है उसे उसकी ज़िम्मेदारियाँ के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जो बच्चे के आई ई पी(IEP) को लागू करने और उपलब्ध कराये जाने वाले आवास, संशोधनों और समर्थनों से संबंधित हैं।
- अभिभावक अपने बच्चे की आई ई पी(IEP) की प्रति नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

बच्चे जिनको अन्य सार्वजनिक एजेंसी में स्थानांतरित किया जाता है:

एक ही राज्य के भीतर स्थानांतरण -

ऐसे विकलांग बच्चे के मामले में, जिसका स्थानांतरण उसी शैक्षिक वर्ष में किसी सार्वजनिक एजेंसी में हुआ है, जिसने उस आई ई पी(IEP) के साथ, जो उसी राज्य में प्रभावी थी, नई सार्वजनिक एजेंसी में दाखिला लिया है, उस सार्वजनिक एजेंसी द्वारा निम्न कार्य किए जायेंगे:

- बच्चे को मुफ्त उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें पहले आयोजित किए गए आई ई पी(IEP) में वर्णित सेवाओं के समान सेवाएँ शामिल की जाएँगी, जिसके लिए अभिभावकों से परामर्श लिया जाएगा जब तक कि सार्वजनिक एजेंसी पिछले आई ई पी(IEP) को नहीं अपनाती है; या

- एक नए आई ई पी(IEP) को विकसित, अपनायाऔर लागू किया जायेगा जो संघीय और राज्य के कानून के अनुरूप हो।

एक ही राज्य के भीतर स्थानान्तरित होने वाले बच्चे के अवस्थांतरण में सहायता करने के लिए नई सार्वजनिक एजेंसी, जिसमें छात्र दाखिला लेता है, पिछली सार्वजनिक एजेंसी से छात्र का रिकॉर्ड तुरंत प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाएगी, इसमें शामिल हैं:

- आई ई पी(IEP) और उसके समर्थनकारी दस्तावेज़; और
- कोई अन्य रिकॉर्ड जो बच्चे की विशेष शिक्षा या संबंधित सेवाओं के लिए प्रावधान से संबंधित हो।

राज्य के बाहर से स्थानांतरण -

ऐसे विकलांग बच्चे के मामले में, जिसका स्थानांतरण उसी शैक्षिक वर्ष में किसी सार्वजनिक एजेंसी में हुआ है ,जिसने उस आई ई पी(IEP) के साथ जो अन्य राज्य में

प्रभावी थी, नयी सार्वजनिक एजेंसी में नामांकन किया है, उस सार्वजनिक एजेंसी द्वारा निम्न कार्य किए जायेंगे:

- बच्चे को मुफ्त उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें पहले आयोजित किए गए आई ई पी(IEP) में वर्णित सेवाओं के समान सेवाएँ शामिल की जाएँगी, जिसके लिए अभिभावकों से परामर्श लिया जाएगा जब तक कि सार्वजनिक एजेंसी वह मूल्यांकन ना कर लें जिसको सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा आवश्यक निर्धारित किया गया हो; और

- यदि उपयुक्त हो, तो एक नयी आई ई पी(IEP) को विकसित किया जाएगा, जो संघीय और राज्य के कानून के अनुरूप हो।

उस बच्चे के अवस्थांतरण में सहायता करने के लिए जो राज्य से बाहर स्थानान्तरित हुआ है, पिछली सार्वजनिक एजेंसी जिसमें छात्र का नामांकन हुआ था, नई सार्वजनिक एजेंसी की ओर से छात्र के शैक्षिक रिकॉर्ड को भेजने के अनुरोध पर तुरंत कार्यवाही करने हेतु समुचित कदम उठायेगी ।

<u>ग्रैजुएशन आवश्यकताएँ:</u>

सार्वजनिक एजेंसी राज्य और स्थानीय ग्रैजुएशन आवश्यकताओं और उन जरूरतों को पूरा करने में उनके बच्चों की प्रगति के विषय में अभिभावकों को बतायेगी। जब एक विकलांग छात्र नियमित हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लेता है तो सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे के अभिभावक को आगामी ग्रैजुएशन के विषय में सूचना देनी होगी। नियमित हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ ग्रैजुएशन होने पर नियोजन में बदलाव आ जाता है और बच्चे का एफ ए पी ई(**FAPE**)पर अधिकार समाप्त हो जाता है।

<u>विस्तारित स्कूल वर्ष सेवाएँ(ESY):</u>

विस्तारित स्कूल वर्ष सेवाओं(ESY) का अभिप्राय विकलांग छात्र को दी जाने वाली विशिष्ट विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के व्यक्तिगत विस्तारण से है जो सार्वजनिक एजेंसी के सामान्य स्कूल वर्ष से आगे उपलब्ध करायी जाती हैं, जो आई ई पी(IEP) के अनुसार होती हैं तथा इसके लिए अभिभावकों को कोई भी कीमत अदा नहीं करनी पड़ती है, और यह MSDE के मानकों को पूरा करती है। ई एस वाई(ESY) सेवाएँ एफ ए पी ई(**FAPE**)के लिए केवल तभी आवश्यक होती हैं जब विकलांग छात्र को गर्मी के महीनों

के दौरान शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उसके सामने नियमित स्कूल वर्ष के दौरान मिलने वाले लाभ को खो देने का जोखिम पैदा हो जाता है । एक सार्वजनिक एजेंसी ई एस वाई(ESY) सेवाओं को विकलांगता की विशेष श्रेणियों के लिए या एकतरफा रूप से सेवाओं के प्रकार, कीमत या अवधि के आधार पर सीमित नहीं करेगी।

यदि आई ई पी(IEP) टीम, व्यक्तिगत तौर पर, यह निर्धारित करती है कि ये सेवाएँ एफ ए पी ई(**FAPE**)के प्रावधान के लिए आवश्यक हैं तो ई एस वाई(ESY) की सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। अभिभावकों को ई एस वाई(ESY) सेवाओं की उपलब्धता के विषय में सूचित किया जाना चाहिए जो विकलांग छात्र की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। कम से कम वार्षिक तौर पर ई एस वाई(ESY) टीम को यह निर्धारित करना होगा कि छात्र को ई एस वाई(ESY) की आवश्यकता है या नहीं। यह निर्धारण स्कूल वर्ष की शुरूआत में ही कर दिया जाना चाहिए जिससे कि यदि अभिभावक सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बनाए गए प्रस्ताव से असहमत हैं तो उन्हें अपने प्रक्रियात्मक रक्षोपाय अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उचित समय मिल सके । तथापि, इसे इतनी जल्दी भी नहीं बनाया जाना चाहिए कि एक सुविचारित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी ही न हो।

यह निर्धारित करने के लिए कि यदि बच्चे को गर्मी के महीनों के दौरान शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान ना किया जाए, तो क्या विकलांग बच्चे द्वारा नियमित स्कूल वर्ष के दौरान अर्जित लाभों में उल्लेखनीय रूप से हानि होगी, आई ई पी(IEP) टीम को निम्न कारकों पर विचार करना होगा:

- क्या बच्चे के आई ई पी (IEP) में महत्वपूर्ण जीवन कौशलों से संबंधित वार्षिक लक्ष्यों को शामिल किया गया है;
- क्या इस बात की संभावना है कि सामान्य स्कूल अवकाश के कारण बच्चा महत्वपूर्ण जीवन कौशलों में गंभीर प्रतिगमन से पीड़ित हो जायेगा और वो अपने खोए हुए कौशलों को उचित समयावधि के भीतर पुन: प्राप्त करने में असफल रहेगा;
- बच्चे की आई ई पी(IEP) के लक्ष्यों और उद्देश्यों में पूर्ण रूप से माहिर होने के प्रति प्रगति;

- नवीन कौशलों या सफलता के अवसरों का होना;
- हस्तक्षेप करने वाले व्यवहार;
- विकलांगता की प्रकृति और/या गंभीरता; और
- विशेष परिस्थितियाँ।

आई ई पी(IEP) टीम प्रत्येक कारक पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगी जिससे कार्यक्रम से होने वाले शैक्षिक लाभ को प्राप्त करने की छात्र की क्षमता पर उसके प्रभाव का पता लगाया जा सके। ई एस वाई(ESY) की सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह मानक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र के लिए लागू किया जाना चाहिए।आई ई पी(IEP) टीम को कारकों पर किए गए विचारों को और उन पहलुओं के परिणामों को भी प्रलेखित करना चाहिए जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि यदि छात्र को विस्तृत स्कूल वर्ष की सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं तो उसके द्वारा नियमित स्कूल वर्ष के दौरान अर्जित लाभों और फ़ायदों में उल्लेखनीय रूप से हानि होगी अथवा नहीं।

यह प्रकाशन मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्तन सेवाएँ विभाग का है। मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग रोजगार को प्रभावित करने वाले या कार्यक्रमों में पहुँच प्रदान करने वाले मामलों में नस्ल, रंग, लिंग, आयु, राष्ट्रीय मूल, धर्मया विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। विभाग की नीतियों से संबंधित जानकारी के लिए समानता आश्वासन और अनुपालन शाखा से 410-767-0246 व्याइस, 410-333-2226 फैक्स या 410-333-6442TDD पर संपर्क करें।• इस दस्तावेज़ को विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्ती सेवाएँ विभाग द्वारा विकसित और प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए यू. एस. शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं के कार्यालय, आई डी ई ए(IDEA), भाग बी, अनुदान # H027A080035A ने धनराशि दी है।• यह आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर व्यक्त किए गए विचार यू. एस. शिक्षा विभाग या किसी अन्य संघीय एजेंसी के विचारों का प्रतिबिम्बन करें और इन्हें इस प्रकार से व्यक्त किया गया नहीं माना जाना चाहिए।• यह जानकारी कॉपीराइट से मुक्त है। पाठकों को इसकी प्रतिलिपि लेने और इसे बाँटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन कृपया विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्ती सेवाएँ विभाग, मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग को इसका श्रेय दें।• विकलांग अमेरि्की अधिनियम(A D A) के अनुपालन में, अनुरोध करने पर यह दस्तावेज़ वैकल्पिक स्वरूपों में उपलब्ध है। परिवार सेवाएँ और अंतरएजेंसी शाखा से 410-767-0858 व्याइस, 410-333-1571 फैक्स, 410-333-0731TDD पर संपर्क करें।

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्तन सेवाओं का मंडल 200 पश्चिम बाल्टीमोर स्ट्रीट, 9 वीं मंजिल बाल्टीमोर,एम डी 21201 410-767-0261 फोन • 1-800-535-0182 टोल फ्री 410-333-8165 फ़ैक्स
• 410-333-0731 TDDwww.MarylandPublicSchools.org नैंसी एस ग्रैसमिक, स्कूल के राज्य अधीक्षक जेम्स एच. डेग्रफ़्फ़ेन्रेइडट, जूनियर, अध्यक्ष, राज्य शिक्षा बोर्ड कैरल एन हीथ-बैगलिन, सहायक राज्य अधीक्षक, विशेष शिक्षा/प्रारंभिक मध्यवर्तन सेवाओं का मंडल मार्टिन ओ’मैले,गवर्नर